



क.रा.बी.नि.  
E.S.I.C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE  
CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt.  
of India)  
Email : ms-ankleshwar.gi@esic.nic.in



क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल, अंकलेश्वर,  
प्लॉट नं. H3012, 500 क्वाटर पास,  
अंकलेश्वर, जि. सूरत  
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लॉट नं. H3012,  
500 क्वाटर के पास, अंकलेश्वर, जि. सूरत  
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500  
Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch  
Website : www.esic.gov.in

375/अ/49/2025/क.रा.बी.नि./अंक/रा.भा.

दिनांक: अप्रैल 2026

### परिपत्र/Circular


#### विषय: स्थापित जाँच बिंदुओं का अनुपालन Subject: Compliance of established inspection points

सभी शाखा अधिकारियों व शाखाओं को सूचित किया जाता है कि राजभाषा का प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को राजभाषा अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा है। सरकार की राजभाषा नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने जाँच बिन्दु स्थापित किए हैं जिनकी सूची निगम मुख्यालय द्वारा परिचालित की गई है। उक्त सूची इसके साथ संलग्न है। अनुरोध है कि सभी स्तरों पर इन जाँच बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

All branch officers and branches are hereby informed that, to ensure the use and promotion of the official language, the Central Government has entrusted every Head of Office with the responsibility of ensuring proper compliance with the Official Language Act, the rules framed under it and the instructions issued from time to time regarding the implementation of the official language.

For the effective implementation of the Government's Official Language Policy, the Official Language Department of the Ministry of Home Affairs has established inspection points, the list of which has been circulated by the corporation HQ. The said list is enclosed herewith. It is requested that strict compliance of these inspection points be ensured at all levels.

संलग्न : यथोपरि  
Enclosed: as above

  
शाखा अधिकारी (राजभाषा) / Branch Officer (Rajbhasha)  
क.रा.बी.नि अस्पताल, अंकलेश्वर, गुजरात  
ESIC Hospital Ankleshwar, Gujarat

(विनोद कुमार)

सहायक निदेशक - राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।
2. सहायक चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।
3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।
4. समस्त सहायक निदेशक एवं शाखा अधिकारी वित्त/सामान्य/नकद/प्रशासन/औषधि भंडार/संपत्ति प्रबंधन शाखा, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।
5. नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय प्रति।
6. क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर की वेबसाइट पर उपलोड करने हेतु।

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंकलेश्वर**  
**राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जाँच बिंदु**

क्र.सं.	मद	उत्तरदायी
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे- परिपत्र, आदेश आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / सभी शाखाएँ
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / सभी शाखाएँ
3.	लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखना	सभी शाखाधिकारी / जारीकर्ता अधिकारी तथा प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा के अधिकारी
4.	सभी पत्रशीर्ष द्विभाषी रूप में तैयार/ प्रयोग करना	सभी शाखाधिकारी / हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
5.	रजिस्ट्रारों एवं सेवा पुस्तिकाओं/सेवा अभिलेख के शीर्ष द्विभाषी होना तथा उनमें प्रविष्टियाँ हिन्दी में किया जाना	प्रशासन शाखा के अधिकारी / लेखा अधिकारी
6.	रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनाना	सामान्य शाखा के अधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी
7.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि अनिवार्यतः हिन्दी में जारी करना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / संबंधित शाखा
8.	द्विभाषी कम्प्यूटरों/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद/व्यवस्था	सामान्य शाखा के अधिकारी / खरीद अधिकारी
9.	हिन्दी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी भाषा में ही दिया जाना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / संबंधित शाखा
10.	सभी विभागीय बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करना तथा बैठक की कार्यवाहियाँ हिन्दी भाषा में संचालित करना	बैठक अध्यक्ष / हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी / शाखाएँ
11.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हिन्दी में कार्य-निष्पादन	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सभी सदस्य
12.	सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सहित हिन्दी का उपयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना तथा ई-मेल हिन्दी में किया जाना	प्रणाली शाखा के अधिकारी तथा सभी ई-मेल जारीकर्ता अधिकारी / शाखाएँ
13.	कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित/साइक्लोस्टाइल फार्म एवं मानक मसौदों को द्विभाषी रूप में ही मुद्रित तथा प्रकाशित करवाया जाना	सामान्य शाखा के अधिकारी / संबंधित प्रयोगकर्ता अधिकारी / शाखाधिकारी
14.	विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली कुल राशि में से न्यूनतम 50% राशि का व्यय अनिवार्यतः हिन्दी विज्ञापनों पर किया जाना	जनसंपर्क शाखाधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी
15.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण तथा वेबसाइट पर सामग्री (पत्र-व्यवहार आदि) द्विभाषी रूप में ही अपलोड किया जाना	वेबसाइट सामग्री प्रबंधक तथा पत्र आदि जारीकर्ता अधिकारी / शाखा
16.	अनुपालन के संबंध में प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व (राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना/करवाना)	कार्यालय अध्यक्ष
17.	सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुपालन	विनिर्दिष्ट शाखाओं के अधिकारी / विनिर्दिष्ट शाखाएँ
18.	उपस्थिति पंजिका में कार्मिकों के नाम तथा हस्ताक्षर हिन्दी में होना	सभी शाखाधिकारी / सभी कार्मिक

Digitally signed by  
Vinod Kumar  
Date: 09-04-2026  
12:05:58

(विनोद कुमार)

सहायक निदेशक - राजभाषा प्रभारी